

सं. 12(1)/ई.II(ए)/2016

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अग्रिम प्रदान किया जाना - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों - सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार-संग्रह के नियम 21(5) में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिमों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम से संबंधित अग्रिमों पर नियमों के सार संग्रह के मौजूदा प्रावधानों - 21(5) में संलग्न संशोधनों के अनुसार संशोधन किए जाते हैं।

2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

3. मोटर कार अग्रिम और मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम से संबंधित अन्य ब्याज वाले अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संशोधनों की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दें।



(पंकज हजारिका)

निदेशक, ई.II(ए)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को प्रति (अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) प्रेषित।

सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों के  
सार - संग्रह में संशोधन, 2005

कम्प्यूटर अग्रिम प्रदान किए जाने की शर्तें:

नियम 21(5)

अग्रिम	मात्रा	पात्रता मानदंड
पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम	50,000 रु. या पर्सनल कम्प्यूटर का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो	सभी सरकारी कर्मचारी।

(ii) पूरे सेवाकाल में कम्प्यूटर अग्रिम की अधिकतम पांच बार की अनुमति दी जाएगी।